अपील बीपीएल संख्या 66/2014 सुशील कुमार पुत्र स्व0 गिरधारीलाल निवासी वार्ड न0 15 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

18–09–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुशील कुमार के अभिभाषक श्री जीतपाल सिंह सैनी उपस्थित है। अपीलार्थी के अभिभाष्क की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी एक गरीब परिवार से है और उसका बीपीएल कार्ड सं0 78–192/38 बना हुआ था जो उपखण्ड अधकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.08.13 को एक पक्षीय रूप से खारिज कर दिया जबकि अपीलार्थी नगरपरिषद श्रीगंगानगर द्वारा बी.पी.एल. सेन्सस 2003 में दिये हुए बी.पी.एल. के समस्त मापदण्ड पूर्ण करता है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का उक्त आदेश निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का बीपीएल कार्ड बहाल किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश सं0 एसडीएम/बीपीएल/2013/48 दिनांक 12.08.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी का बीपीएल कार्ड निरस्त किया गया है। उक्त बीपीएल कार्ड जांच के आधार पर निरस्त किया गया प्रतीत होता है किन्तु आदेश में जांच रिपोर्ट का पूर्ण विवरण अंकित नही है और न ही उक्त आदेश से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया हो। इसलिए उक्त आदेश अपीलार्थी को बिना सुने पारित किये जाने के कारण विधिसम्मत नही कहा जा सकता। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करनी उचित होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि इस मामले में पुनः जांच की जावे और जांच रिपोर्ट पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार निस्तारण किया जावे तब तक अपीलार्थी का बी.पी.एल. कार्ड यथावत निरस्त रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आदेश की प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18–09–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर